

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 1971/फाल्गुन 6, 1892

No. 27]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 25, 1971/PHALGUNA 6, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

RESOLUTION

TARIFFS

New Delhi, the 25th February 1971

No. 14(5)-Tar/69.—In pursuance of recommendation (6) in paragraph 1 read with paragraph 2 of the Government of India, erstwhile Ministry of Commerce Resolution No. 14(1)-Tar/68, dated the 7th December, 1968, issued on the Report (1968) of the Tariff Commission on the Dyestuff Industry, the Tariff Commission has reviewed the quality, prices, and availability with special reference to the requirements of the small-scale sector of the dyestuff industry, and has submitted a report covering the period January to December 1969. As a *suo motu* inquiry into the further continuance of protection to the industry is due this year, the Commission has not considered it necessary to review the whole question of protection at this stage, and has confined its enquiry to an examination of the availability, prices and quality of the 33 intermediates in general and 13 intermediates considered vital for the small scale sector, in particular. The recommendations made by the Tariff Commission in the Review Report are as follows:—

- (1) The manufacturers/consumers are experiencing difficulty in securing raw materials/intermediates, and having regard to the fact that supplies of intermediates are not freely available even in foreign countries

and the position is not likely to improve in the near future, the existing bottle-necks in their supply should be removed. The following suggestions have been made in this connection:—

- (i) There should be greater coordination and cooperation among the small and large scale sectors of the industry. They should be able to exchange their products among themselves on the basis of their mutual needs and availability.
 - (ii) There is scope for expansion of capacity or setting up of new capacity in respect of some of the intermediates where demand outstrips supply. New manufacturers should be encouraged to come into the field, especially where at present there is one producer of an intermediate. Producers with captive consumption should be encouraged to maximise their capacity utilisation and with this end in view should, as a first priority, get their import licences for raw materials without much difficulty and without having to depend on export promotion licences.
 - (iii) In the matter of issue of import licences for raw materials, preference should be given to actual users of those raw materials, i.e. those who are predominantly engaged in the conversion of these into intermediates to be further converted either by themselves or by others into finished dyestuffs.
 - (iv) Some further checks should be imposed on the imports, particularly against omnibus export promotion licences, of certain intermediates which are already in production or for which adequate capacities exist in the country.
 - (v) Where intermediates have still to be imported, preference should be given to the small scale sector who have no capacity for the manufacture of these intermediates directly from raw materials.
 - (vi) There is need for selective intensification and rationalisation of control over imports as well as establishment of regulatory control over distribution to ensure equitable sub-division of available supplies to all sectors of the industry. To this end, and to take advantage of the possible economies through bulk purchasing, it may be necessary to canalise imports of raw materials and/or intermediates through a centralised body like the State Trading Corporation. On occasions, it may be necessary to use the same, or some other machinery, to compulsorily purchase and distribute a specific part of the domestic production of intermediates in short supply in an orderly manner against the genuine requirements of all those who do not possess the facility of manufacturing such intermediates themselves.
- (2) Some steps necessary in the direction of improving the supply position in respect of the following key-intermediates, where there has been lop-sidedness in imports, exports and domestic production vis-a-vis the estimated demand, are also recommended:—
- (i) In view of the indigenous demand for BON acid, further exports of this item beyond the present commitment should not be allowed until domestic production is able to fully meet the internal demand.
 - (ii) Steps should be taken to see that the installed capacity of Diethyl Meta Amino Phenol is raised at least to the level of 100 tonnes which is the estimated demand. The landed cost of the imported product, compared to the price of the indigenous product, of this product at the present exorbitant price does not seem to be justified.
 - (iii) While stepping up the capacity of J. Acid and its utilisation, imports of this product upto 10 per cent may be allowed to meet the existing shortage.
 - (iv) It should be possible to step up the domestic production of Ortho Anisidine, particularly since there is a great deal of unutilised capacity for the product. It is not prudent to resort to imports.

- (v) The installed capacity of Ortho Toluidine being more than sufficient to meet the internal demand, steps should be taken to improve the production to avoid imports which are slightly more costly than the indigenous product.
 - (vi) There appears to be a case for the creation of additional capacity in respect of Para Toluidine and for improving its production. Dependence on imports could easily be curtailed.
 - (vii) The reduction in the import quota of Tobias Acid from 20 per cent to 10 per cent is expected to help the utilisation of capacity which is more than adequate to meet the demand, and reduce dependence on imports.
 - (viii) Since there is considerable unutilised capacity the manufacture of Para Anisidine can be stepped up with a view to reducing dependence on imports.
 - (ix) It is inadvisable to allow import of Aceto-Acet-Anilide to such an extent as to render a substantial part of the indigenous capacity idle. Reduction in import would help to increase the utilisation of indigenous capacity and reduce dependence on imports.
- (3) A proper and realistic assessment of existing production (both actual and potential) and demand should be made so that the gap between demand and supply with a small margin, say 10 per cent of estimated demand for unforeseen contingencies, should be filled by imports in a planned manner.
- (4) Indigenous prices of some of the intermediates have shown abnormal increases after the grant of protection and have no relationship either to those of the imported products or to the ex-factory prices fixed at the last inquiry. It is, therefore, desirable to explore the possibility of introducing some sort of control, formal or informal, whereby producers will not be in a position to manipulate the prices to their advantage unilaterally without the prior approval of the concerned authorities.
- (5) The intermediates should be classified according to their purity per cent and should bear the ISI mark.
- (6) Accurate data in regard to capacity, production, consumption, sale, etc. is not available in respect of even large scale sector of the industry. With a view to compiling adequate data, the units should be asked to report to the Director General Technical Development (DGTD) their progress at periodical intervals. Producers' association can also organise collection, maintenance and supply of up-to-date and reliable data about the various aspects of the industry.
- (7) As detailed assessment of capacity, production, quality, prices, supply and demand in respect of the industry is involved, and as the situation is liable to change from time to time, sometimes at relatively short intervals, a Standing Committee consisting of a representative each of Directorate General of Technical Development (DGTD), Textile Commissioner, Chief Controller of Imports and Exports, Development Commissioner, for Small Scale Industries as well as two representatives each of the Dye and Chemical Manufacturers' Associations should be set up. This should be headed preferably by a technically qualified person of standing who is not directly interested in the production, import or distribution of these products. The Committee could keep a fairly continuous watch on the developing situation and offer advice to the executive authorities concerned for appropriate and timely action.
- (8) Government should encourage pilot studies by institutions like the National Chemical Laboratory, Poona, on production and other aspects of the economy of intermediates, which could provide guidance and expertise for the development of the dyestuff industry and particularly the small scale producers. The industry should also in its turn develop closer contacts with institutions engaged in such pilot studies.

- (9) The policy of protection as now in operation has by and large justified itself, as it has helped the industry not only to develop but also achieve a degree of competitive strength and should, subject to the minor operational modifications, suggested in the preceding recommendations, be allowed to continue up to 31st December 1971, i.e. when the period of protection to the industry is due to expire.
- (10) Since the overall enquiry into the dyestuff industry is due in 1971, there may not be any particular need for repeating the six monthly reviews as recommended in Report (1968) on the Dyestuff industry.
2. Government agree with recommendations (1)(i), (5) and (8), to which the attention of the industry is also drawn.
3. (a) Government have noted recommendations (1)(ii) to (1)(vi), (2)(ii) to (2)(ix) and (8) for implementation to the extent possible.
- (b) In so far as recommendation (1)(iii) is concerned, manufacturers of dye-intermediates are already being given import licences on replenishment basis and from preferential sources. As regards recommendation (1)(iv), only such dye-intermediates, import of which is otherwise permissible under the import policy, are allowed to be imported against export of dyes under the import policy, for Registered Exporters, and there is no omnibus export promotion licence. With respect to recommendation (1)(vi), it may be noted that some intermediates are already canalised through the State Trading Corporation.
- (c) The Industry's attention is drawn to recommendations (1)(ii), (2)(ii) to (2)(ix) and (8).
4. Government accept recommendations (7), (9) and (10). The Standing Committee, referred to in recommendation (7), will be constituted by the Ministry of Petroleum and Chemicals & Mines and Metals (Department of Petroleum & Chemicals). That Ministry will announce the composition and terms of reference of the Committee, which will include matters referred to in recommendations (2)(i), (3) and (4) also.

S. VENKATESAN, Jt. Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

संक्षेप

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1971,

सं० 14(5) - टैरिफ/69:—रंजक सामग्री उद्योग के विषय में टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन (1968) के सम्बन्ध में जारी किये गये भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के संकल्प सं० 14(1) - टैरिफ/68 दिनांक 7 दिसम्बर, 1968 की कंडिका 2 के साथ पथित कंडिका 1 में की गयी सिफारिश (6) के अनुसरण में टैरिफ आयोग ने लघु क्षेत्र की आवश्यकताओं के विशेष संदर्भ में, रंजक-सामग्री उद्योग के गुण, कीमतों तथा प्राप्यता की समीक्षा की है और एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिस में जनवरी से दिसम्बर, 1969 तक की अवधि के संदर्भ में समीक्षा की गयी है। चूंकि उद्योग को भविष्य में भी संरक्षण जारी रखने से सम्बन्धित स्व-प्रस्तावित जांच इस वर्ष प्रस्तुत की जानी है अतः इस अवस्था में संरक्षण सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रश्न की समीक्षा करना आयोग द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया है और इसने अपनी जांच को सामान्य रूप में 53 मध्यवर्ती पदार्थों के और विशेष रूप में लघु क्षेत्र के लिए

महत्वपूर्ण समझे गये 18-मध्यवर्ती पदार्थों की प्राप्यता, कीमतों तथा गुणता तक ही सीमित रखा है। समीक्षा-प्रतिवेदन में टैरिफ आयोग द्वारा निम्नलिखित सिफारिशों की गयी है :—

- (1) निर्माताओं 'उपभोक्ताओं को कच्चे माल' मध्यवर्ती पदार्थ प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विदेशी बाजारों तक में भी मध्यवर्ती पदार्थों के सभरण मुक्त रूप में प्राप्य नहीं हैं और निकट भविष्य में भी स्थिति में सुधार होने की संभावना नहीं है अतः उनकी पूर्ति में विद्यमान बाधाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं :—
 - (i) उद्योग के लघु तथा विशाल क्षेत्रों के बीच अधिकाधिक सामंजस्य तथा सहयोग होना चाहिये। वे अपनी परस्पर आवश्यकताओं और प्राप्यता के आधार पर अपने उत्पादों का परस्पर विनिमय करने में ममर्थ होने चाहिये।
 - (ii) कतिपय ऐसे मध्यवर्ती पदार्थों के सम्बन्ध में, जहाँ माग पूर्ति में अधिक है, क्षमता के विस्तार अथवा नई क्षमता की स्थापना की गुंजाइश विद्यमान है। नये निर्माताओं को ऐसे क्षेत्र में, विशेषतः जहाँ इस समय किसी मध्यवर्ती पदार्थ का कोई उत्पादक नहीं है, आने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। बद्ध खपत वाले उत्पादकों को अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें किसी कठिनाई के बिना कच्चे माल के लिए प्रथम पूर्व बंतिता के रूप में और निर्यात संवर्धन लाइसेंसों पर निर्भर रहे बिना आयात लाइसेंस मिलने चाहिये।
 - (iii) कच्चे माल के आयात लाइसेंस देने के सम्बन्ध में उसके लिए उन वास्तविक प्रयोक्ताओं को तरजीह दी जानी चाहिये जो प्रमुख रूप से कच्चे माल को ऐसे मध्यवर्ती पदार्थों में रूपान्तरित करने के कार्य में लगे हुए हैं जिन्हें आगे तैयार रजक-सामग्री के रूप में वे स्वयं अथवा अन्य प्रयोक्त रूपान्तरित करते हों।
 - (iv) विशेषतः ऐसे मध्यवर्ती पदार्थों के जिनका देश में उत्पादन हो रहा है अथवा जिनके लिए देश में पर्याप्त क्षमता विद्यमान है, बहु-प्रयोजनीय निर्यात संवर्धन लाइसेंसों के आधार पर किये जाने वाले आयातों पर कतिपय और प्रतिबन्ध लगाये जान चाहिये।
 - (v) ऐसे मामले में, जहाँ मध्यवर्ती पदार्थों का अभी तक आयात करना पड़ता है, लघु क्षेत्र तरजीह दी जानी चाहिये जिनके पास कच्चा माल से सीधे इन/मध्यवर्ती पदार्थों के निर्माण की कोई क्षमता नहीं है।
 - (vi) उद्योग के सभी क्षेत्रों को उपलब्ध संभरणों का न्याय संगत प्रविभाजन सुनिश्चित करने के लिए आयातों पर नियंत्रण को विशिष्ट रूप में सघन करने तथा ससंगत बनाने और वितरण पर विनियामक नियंत्रण की स्थापना करने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए और विपुल परिमाण में खरीदारी से होने वाले लाभ का फायदा उठाने के लिए कच्चे माल और/अथवा मध्यवर्ती पदार्थों के आयात का मार्गीकरण राज्य व्यापार निगम जैसे केन्द्रीय कृत निकाय के माध्यम से करना आवश्यक हो सकता है। यथाशक्ती, यह आवश्यक हो सकता है कि कम सप्लाई वाले मध्यवर्ती पदार्थों की अनिवार्य खरीदारी करने तथा ऐसे सभी एकत्री की, जो स्वयं इस प्रकार के मध्यवर्ती पदार्थों के निर्माण करने की सुविधा नहीं रखते,

वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर घरेलू उत्पादन के विशिष्ट अंश का सुव्यवस्थित ढंग से वितरण करने के लिये उसी निकाय अथवा अन्य किसी मशीनरी का उपयोग किया जाये।

(2) निम्नलिखित आधारभूत मध्यवर्ती पदार्थों के सम्बन्ध में, जहाँ अनुमानित मांग के संदर्भ में आयात, निर्यात और घरेलू उत्पादन में असंतुलन है, पूर्ती स्थिति के सुधार की दिशा में कतिपय आवश्यक उपायों की भी सिफारिश की जाती है :—

- (i) बी० ओ० एन० अम्ल की स्वदेशी मांग को देखते हुए इस मद की वर्तमान बचनबद्धताओं के अतिरिक्त उसका और निर्यात करने की तब तक अनुमति नहीं दी जानी चाहिये जब तक घरेलू उत्पादन में आन्तरिक मांग समग्र रूप में पूरी नहीं होने लगती।
- (ii) इस सम्बन्ध में उपाय किये जाने चाहिये जिससे डिथील भेटा एमिनो फिनोल का स्थापित क्षमता को कम से कम 100 मे० टन के स्तर तक, जो अनुमानित मांग है, बढ़ाया जा सके। आयातित उत्पादों की देश में पहुँचने पर आने वाली लागत स्वदेशी उत्पाद की कीमत की तुलना में काफी अधिक है। इस मद का वर्तमान भारी कीमत पर आयात उचित प्रतीत नहीं होता।
- (iii) जे० अम्ल की क्षमता तथा इसकी खपत को बढ़ाने के लिए इस उत्पाद के 10 प्रतिशत तक के आयात की अनुमति दी जानी चाहिये ताकि विद्यमान कमी को पूरा किया जा सके।
- (iv) आर्थो एनिसिडीन का घरेलू उत्पादन बढ़ाना संभव होना चाहिये, विशेषतः जब कि इस उत्पाद के लिए काफी अप्रयुक्त क्षमता विद्यमान है। इस के लिए आयातों का आश्रय लेना विवेकपूर्ण नहीं है।
- (v) आर्थो टाल्यूडीन की स्थापित क्षमता आन्तरिक मांग को पूरा करने के लिये काफी अधिक है, इसलिए उत्पादन में सुधार करने के लिए उपाय किये जाने चाहिये ताकि आयात, जो कि स्वदेशी उत्पाद से कुछ महंगे हैं, रोके जा सके।
- (vi) पैरा टाल्यूडीन के सम्बन्ध में अतिरिक्त क्षमता तैयार करने तथा इसके उत्पादन में सुधार करने में औषिद्य प्रतीत होता है। आयातों पर निर्भरता की आसानी से कम किया जा सकता है।
- (vii) टोबियस अम्ल के आयात कोटे में 20 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत कर देना क्षमता के, जो कि मांग को पूरा करने के लिए काफी अधिक है, उपयोग में सहायक होने की संभावना है और इससे आयातों पर निर्भरता कम होगी।
- (viii) चूंकि पैरा एनिसिडीन की अप्रयुक्त क्षमता भारी परिणाम में विद्यमान है अतः आयातों पर निर्भरता कम करने के लिए इसका निर्माण बढ़ाना चाहिये।
- (xi) एसिटो-ऐसेट एनिलाइड का इस हद तक आयात करने की अनुमति देना युक्तियुक्त नहीं है जिससे भारी परिणाम में स्वदेशी क्षमता बेकार हो जाए। आयातों में कमी द्वारा स्वदेशी क्षमता का उपयोग बढ़ेगा और आयातों पर निर्भरता कम होगी।

(3) विद्यमान उत्पादन (वास्तविक तथा संभावित दोनों) और मांग का उचित तथा तथा यथार्थतः निर्धारण होना चाहिए, ताकि मांग और पूर्ति के बीच का अन्तर, थोड़ी सी गुंजाइस रखकर, जैसे अप्रत्याशित संमान्यताओं के लिए अनुमानित मांग का 10 प्रतिशत, आयोजित] ढंग से आयातों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए ।

(4) संरक्षण मिलने के बाद कतिपय मध्यवर्ती पदार्थों की स्वदेशी कीमतों में असाधारण वृद्धि हुई है और आयातित उत्पादों अथवा अन्तिम जाच के समय निर्धारित कारखाना-कीमतों, दोनों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है अतः, किसी प्रकार का नियंत्रण औपचारिक अथवा अनापचारिक, लगाने की संभावना का पना लगाना वांछनीय होगा, जिससे की उत्पादक, सम्बन्धित प्राधिकरणों की पूर्व स्वीकृति के बिना ही अपने एक पक्षीय रूप से मूल्यों को अपने लाभार्थ निर्धारित करने की स्थिति में न हो सके ।

(5) मध्यवर्ती पदार्थों का उनकी शुद्धता की प्रतिशतता के अनुसार वर्गीकरण होना चाहिए । और उन पर भारतीय मानक संस्था का चिह्न होना चाहिए ।

(6) बड़े पैमाने के उद्योग के क्षेत्र के सम्बन्ध में भी क्षमता उत्पादन, खपत, बिक्री आदि के बारे में भी सही आकड़े उपलब्ध नहीं हैं । यथेष्ट आकड़े एकत्र करने की दृष्टि से एककों से कहना चाहिए की वे अपनी प्रगति की सूचना समय-समय पर तकनीकी विकास के महानिदेशक (त०नि० म०नि०) को दे । उत्पादक संघ भी उद्योग के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित अद्यतन तथा विश्वसनीय आकड़ों के सकलन, अनुरक्षण तथा पूर्ति की व्यवस्था कर सकते हैं ।

(7) चूकि, उद्योग के सम्बन्ध में क्षमता, उत्पादन, गुण, कीमते, पूर्ति तथा मांग का विस्तृत आकलन अन्तर्ग्रस्त है और चूकि समय-समय पर, कभी-कभी उपेक्षाकृत कम अन्तराल पर स्थिति बदल सकती है, अतः एक स्थायी समिति गठित की जानी चाहिए, जिसमें तकनीकी विकास के महानिदेशक (त०वि०म०नि०), वस्त्र आयुक्त आयात-निर्यात लघु-उद्योगों के लिये विकास आयुक्त का एक-एक प्रतिनिधि और रजक तथा रसायनिक उत्पाद संघों का एक-एक प्रतिनिधि होना चाहिए । इसका अध्यक्ष कोई तकनीकी अर्हतायुक्त अनुभवी ऐसा व्यक्ति हो तो अच्छा रहेगा, जिसका उत्पादन, आयात अथवा इन उत्पादकों के वितरण में प्रत्यक्ष रूप से कोई स्वार्थ न हो । समिति बदलती हुई स्थिति पर लगभग लगातार निगरानी रख सकती है और समुचित तथा समय पर कार्यवासी के लिए सम्बन्धित कार्यकारी प्राधिकरणों की सलाह दे सकती है ।

(8) सरकार को राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पूना जैसी संस्थाओं को, उत्पादन पर तथा मध्यवर्ती पदार्थों की अर्थ-व्यवस्था के अन्य पहलुओं पर प्रायोगिक अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जोकि रजक सामग्री उद्योग के विकास तथा विशेषता छोटे पैमाने के उत्पादकों के लिये मार्ग-दर्शन तथा विशेषज्ञ प्रदान कर सकती है । उद्योग को भी ऐसे प्रायोगिक अध्ययनों में लगी समस्याओं के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करना चाहिए ।

(9) संरक्षण की विद्यमान नीति कुछ मिलाकर औचित्यपूर्ण है, क्योंकि इससे न केवल उद्योग के विकसित होने में अपितु, इससे कुछ हद तक प्रतियोगिकता-क्षमता प्राप्त करने में भी सहायता मिली है और कार्य-चालन सम्बन्धी मामूली से सुधार करके, जैसा कि पूर्ववर्ती सिफारिशों में सुझाया गया है, इसे 31 दिसम्बर, 1971 तक, अर्थात् उद्योग के संरक्षण की अवधि समाप्त होने तक, जारी रहने दिया जाये ।

(10) चूंकि, रंजक सामग्री उद्योग की संपूर्ण जांच 1971 में होनी है, इसलिए रंजक सामग्री उद्योग पर, जैसा कि (1968) रिपोर्ट में सिफारिश की गई है, अर्ध-वार्षिक समीक्षाएं करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है।

2. सरकार, (1) (i), (5) तथा (6) सिफारिशों से सहमत हैं, जिन पर उद्योग का ध्यान भी दिला दिया गया है।

3. (क) सरकार ने, (i) (ii) से (i) (iv), (2) (ii) से (2) (ix) तथा (8) सिफारिशों को यथासंभव कार्यान्वित करने के लिए नोट कर लिया है।

(ख) जहां तक (1) (iii) सिफारिश का सम्बन्ध है मध्यवर्ती पदार्थों के निर्माताओं को, प्रतिपूर्ति के आधार पर तथा पसन्द के स्रोतों से, माल आयात करने के लिये पहले से ही आयात लाइसेंस दिये जाते हैं। (1) (iv) सिफारिश के सम्बन्ध में, पंजीकृत निर्यातकों के लिये आयात नीति के अन्तर्गत रंजक सामग्री के निर्यात के बदले केवल ऐसे रंग मध्यवर्ती पदार्थों के आयात करने की अनुमति है जिनका आयात, आयात-नीति के अन्तर्गत अन्यथा अनुमत है, और किसी प्रकार का बहु-प्रयोजनीय निर्यात संबंधन लाइसेंस नहीं है। (1) (vi) सिफारिश के सम्बन्ध में यह देखा जा सकता है कि कुछ मध्यवर्ती पदार्थ राज्य व्यापार निगम के माध्यम से पहले ही मार्गीकृत हैं।

(ग) (1) (ii), (2) (ii) से (2) (ix) तथा (8) सिफारिशों पर उद्योग का ध्यान दिलाया जाता है।

4. सरकार (7), (9) तथा (10) सिफारिशों को स्वीकार करती है। स्थायी समिति, जिसका उल्लेख सिफारिश (7) में किया गया है, का गठन पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु (पेट्रोलियम तथा रसायन विभाग) मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। वही मंत्रालय समिति के गठन तथा विचारार्थ विषयों की घोषणा करेगा, जिनमें (2) (i), (3) तथा (4) सिफारिशों में उल्लिखित विषय भी शामिल होंगे।

एस० वेंकटेशन

संयुक्त सचिव, भारत सरकार।